

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-5/869/2019/10-11/4340

भोपाल, दिनांक 22/12/2022

प्रेषक :-

सुनील अग्रवाल (भा.व.से.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंग रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- कटनी जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 एक्सटेंशन के खण्ड चांदघाट से कटनी (गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी) मार्ग के चौड़ीकरण/निर्माण हेतु 0.98 हेक्टेयर वन भूमि लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, जबलपुर को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPB021/2019-BHO/ दिनांक 21.06.2021

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

शर्त-A

- 1- शर्त क्रमांक A(1) के पालन में आवेदक संस्थान ने वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की लागत राशि रु0 14,96,950/-यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में दिनांक 22.07.2021 को ऑनलाईन जमा की जा चुकी है।
- 2- शर्त क्रमांक A(2) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रु0 4,29,240/-यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में दिनांक 22.07.2021 को ऑनलाईन जमा की जा चुकी है।
- 3- शर्त क्रमांक A(3) के पालन में प्रकरण में प्राप्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना एवं नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि एड-हॉक कैम्पा के अन्तर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में ऑनलाईन दिनांक 22.07.2021 को जमा की जा चुकी है।
- 4- शर्त क्रमांक A(4) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर, कटनी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।
- 5- शर्त क्रमांक A(5) के पालन में ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर व्यपवर्तित वनक्षेत्र एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की KML file अपलोड कर दी गई है, जिसका ID No. 50775 है।
- 6- शर्त क्रमांक A(6) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
- 7- शर्त क्रमांक A(7) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन वेबपोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

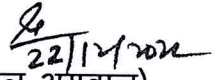
शर्तें-B

- 1- शर्त क्रमांक B(1) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
- 2- शर्त क्रमांक B(2) के पालन में लेख है कि शर्त अनुसार रोपण कार्य विभाग द्वारा कराया जावेगा।
- 3- शर्त क्रमांक B(3) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा अतिरिक्त एन0पी0व्ही0 का वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
- 4- शर्त क्रमांक B (4) से (17) तक के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

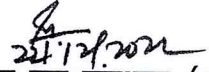
भवदीय


(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक/एफ-5/869/2019/10-11/4341
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 22/12/2022

- 1- मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), जबलपुर वृत्त, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
 - 2- वन मण्डलाधिकारी, (सामान्य) वन मण्डल, कटनी, मध्यप्रदेश।
 - 3- कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर, म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल